न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द
(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 76 / 2023 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम / नियम)
GCMS NO :– 2023 / 136
दायर दिनांक :– 03.10.2023
निर्णय दिनांक :– 02.11.2023

अनवान

राज्य सरकार जरिये श्री शशिकांत शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री दिनेश कुमावत पुत्र मांगीलाल कुमावत उम्र 38 जाति कुमावत निवासी खानों का रास्ता, जावद, राजसमंद जिला राजसमंद (फर्म विक्रेता / मालिक) मैसर्स कुमावत डेयरी, सिलावटवाडी, राजनगर, राजसमंद जिला राजसमंद।

– विपक्षी

अन्तर्गत धारा क्रमशः 26(2) (ii) / 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम एवं विनियम 2011

–: निर्णय :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 25.07.2011 व 10.08.2011 के अनुसरण में शशिकांत शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षी पर सबस्टैण्डर्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है दिनेश कुमावत पुत्र मांगीलाल कुमावत उम्र 38 जाति कुमावत निवासी खानों का रास्ता, जावद, राजसमंद जिला राजसमंद (फर्म विकेता / मालिक) जो की व्यवसाय करते है, तथा इनकी दुकान मैसर्स कुमावत डेयरी, सिलावटवाडी, राजनगर, राजसमंद जिला राजसमंद पर दिनांक 09.03.2022 को 11.30 ए.एम. पर वास्ते चेकिंग पहूंचे। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति / रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश नहीं किया। उक्त निरीक्षण के समय मिक्स मिल्क एक एल्यूमिनियम की कैन में लगभग 30 लीटर आम जनता के लिये विक्रय हेतु रखे हुए थे। एफ.एस.एस.ए. 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक होने पर खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क 02 लीटर खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को रु. 110 / – (एक सौ दस रूपये) देकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर लिये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना

विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि खरीदशुदा मिक्स मिल्क के 04 नमूना भाग तैयार किये चारों नमूना भागों हेतु 04 लेबल तैयार किये जिन पर विवरण आदि अंकित किया। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें। सील कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) जिला राजसमन्द द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर AI 1809 नियमानुसार चारो नमूना सील्ड पर अंकित कर नमूने की सील्ड भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) राजसमन्द को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को भी फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी, राजसमन्द को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमंद ने पत्र क्रमांक : एफएसएसए/2022/2083 दिनांक 10.04.2023 के साथ खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./162/एक्ट/2023/162 दिनांक 17.03.2023 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार AI 1809 खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द ने अभियोजन स्वीकृति जारी कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण को संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रत्युतर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। विपक्षी द्वारा अपनी बहस में अवगत कराया कि उसके द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है तथा भविष्य में ऐसी गलती नही दोहराई जावेगी।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी की बहस का अवलोकन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी का खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क Contain Extraneous matter (SMP) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(i) के अन्तर्गत) होना पाया गया। अतः अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा

न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर ☆ राजसमन्द ☆

एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx)) खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है, अपराध कारित होने से दिनेश कुमावत पुत्र मांगीलाल कुमावत उम्र 38 जाति कुमावत निवासी खानों का रास्ता, जावद, राजसमंद जिला राजसमंद (फर्म विक्रेता/मालिक) मैसर्स कुमावत डेयरी, सिलावटवाडी, राजनगर, राजसमंद जिला राजसमंद पर 20,000/— रूपये (अक्षरे रूपया बीस हजार रूपये) की पेनल्टी से आरोपित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य में Substandard (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx)) खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के प्रावधानों का उल्लद्यन नहीं करे, विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है कि उक्त जुर्माना राशि ''न्याय निर्णयन अधिकारी, एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान से निर्णय दिनांक से एक माह की अवधि में राजकोष में आवश्यक रूप से जमा करा पावती प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2023 को खुले न्यायालय सुनाया जाकर, टकिंत कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रा0 फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय की प्रति संबंधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित है।

02/11/2023

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द

न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द